संख्या-32/2016/वे0आ0-2-460 /दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 07 जून, 2016**

विषय- पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों के सृजन से सम्बन्धित प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों के सृजन से सम्बन्धित प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :--

(i) **<u>ग्राम पंचायत अधिकारी</u>**

(क) ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/- को यथावत बनाये रखा जाय।

(ख) प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त ग्राम पंचायत अधिकारी के पद की वेतन विसंगति के प्रकरण को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में गठित होने वाली वेतन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) **<u>सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)</u>**

(क) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- को यथावत बनाये रखा जाये।

(ख) प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद की वेतन विसंगति के प्रकरण को सातवें वेतन आयोग

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में गठित होने वाली वेतन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii) **<u>अपर जिला पंचायत राज अधिकारी तथा सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के दों पदों का सृजन</u>**

शासनादेश संख्या-2/2015/वे0आ0-2-54/दस-2015-8(मु0स0 स0)/2011 दिनांक 27 जनवरी, 2015 के माध्यम से लिये गये निर्णय को निम्नानुसार संशोधित किया जाय :-

(a) अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू04600/- में प्रत्येक जनपद हेतु एक-एक नये पद का सृजन किया जाय।

(b) अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों को 03 वर्ष की सेवा वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों से शत्-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

(c) जिला पंचायत राज अधिकारी के वर्तमान में पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रावधानित 50 प्रतिशत पदों में से 45 प्रतिशत पदों को 02 वर्ष की सेवा वाले अथवा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की सेवा सहित कुल 05 वर्ष की सेवा वाले अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जाय। पात्र अभ्यर्थियां की अनुपलब्धता की स्थिति में 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान किया जायें। शेष 05 प्रतिशत पदों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों से भरे जाने की व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाय। जिला पंचायत राज अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की वर्तमान व्यवस्था पूर्ववत् बनाये रखी जाय।

(d) पंचायती राज विभाग द्वारा विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता को संज्ञान में रखते हुये अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों के कार्य एवं दायित्व के निर्धारण के आदेश अलग से निर्गत करेंगे।

(e) सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के वर्तमान में सृजित पदों को यथावत बनाये रखा जाय।

.....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-32/2016/वे0आ0-2-460(1) /दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।